UPGK010053922026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), गोरखपुर।

पीठासीन अधिकारी–श्री चन्द्रभान सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06180

आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या– 603/2026

अजय प्रताप ––––––बनाम––––––शमशाद हुसैन

निस्तारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

दिनांक–05.08.2026

पत्रावली आज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर आदेश हेतु नियत है, पूर्व नियत तिथि पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

आवेदक के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रार्थना पत्र में संक्षेप में कथन है कि प्रार्थी मौजा कंदराई थाना खजनी, जनपद गोरखपुर का स्थायी निवासी है। प्रार्थी को विपक्षी शमशाद हुसैन जिनका मोबाईल नम्बर 9305844049 है पुत्र श्री नथुनी अंसारी – हाल–मुकाम–मोहल्ला बंसत कॉलोनी राप्तीनगर थाना–शाहपुर जनपद गोरखपुर के निवासी हैं व स्थाई पता– सरसा, सरसा, सिवान, बिहार का स्थाई निवासी है, विपक्षी ने उससे कहा कि वह रेनॉल्ट एजेन्सी हरैया नौसढ़ से एक छोटी चार पहिया वाहन निकलवाकर शमशाद हुसैन टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी जो नसीम और शमसुद्दीन ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर जिसे शमशाद हुसैन द्वारा संचालित किया जाता है तथा पूर्व से कई गाड़िया चल रही हैं जिसमें वह अपने तरफ से ड्राइवर पेट्रोल सर्विसिंग, इंश्योरेंस इत्यादि का खर्च स्वयं वहन करता है और प्रत्येक माह वाहन स्वामियों को रूपया 27000/– देता है। प्रार्थी शमशाद द्वारा प्रेषित करने पर उनके साजिश में आकर उपरोक्त रेनॉल्ट एजेन्सी में जाकर शमशाद के माध्यम से दिनांक 06/06/2023 को अपने पिता श्री राम वृक्ष पुत्र स्व० रोपन के नाम से एक चार पहिया वाहन ट्राइवर UP 53 EQ 5178 लोन पर खरीदवा कर दिनांक 07/06/2023 को अपने टूर एंड ट्रैवल कंपनी नसीमपुर एंड ट्रैवल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर में लगा लिये जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर AAICN20121 बताएं और उसे दिनांक 07/06/2023 को नोटरी पर एक इकरारनामा लिखवा कर दिए। प्रार्थी को वह प्रत्येक माह आपको किस्त में अतिरिक्त रूपया 11300 दूंगा और कहा कि आप अपने अन्य सगे संबंधियों तीन–चार व्यक्तियों को लगाइए, उन्हें भी उपरोक्त एजेन्सी से गाड़ी खरीदवाकर अपने टूर एंड ट्रेवेल्स कंपनी में लगवाने और रूपया 27000/– प्रति माह की दर से देने की बात कही, प्रार्थी उनकी बातों में विश्वास करके गांव के ही प्रदीप कुमार पुत्र श्री सूर्यदेव प्रसाद से गाड़ी के संबंध में बात किया वह तैयार भी हो गए और दिनांक 07/08/2023 को उपरोक्त रेनॉल्ट एजेन्सी हरैया से चार पहिया वाहन ट्राइवर खरीदवाकर जो गाड़ी संख्या UP 53 ER 5285 शमशाद हुसैन को दिनांक 10/08/23 को अपने द्वारा संचालित टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी नसीम और शमसुद्दीन टूर एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर में लगवा दिया। प्रार्थी से इकरारनामा लिखवाकर रूपया 27000/– प्रतिमाह उसे प्रदीप को देने हेतु लिखित इकरारनामा शमशाद हुसैन ने दे दिए। पुनः उसके

द्वारा शमशाद हुसैन के कथनानुसार प्रार्थी एक रेनॉल्ट चार पहिया वाहन दिनांक 08/09/23 को वाहन संख्या UP 53 ER 5564 रेनाल्ट ट्राइवर उपरोक्त हरैया स्थित एजेन्सी ने खरीदवाकर दिनांक 18/09/23 को शमशाद हुसैन के उपरोक्त की टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी गोरखपुर में लगा दिए। विपक्षी शमशाद हुसैन ऊपर अंकित तीनों चार पहिया वाहनों का एग्रीमेन्ट में अंकित धनराशि का भुगतान देना बंद कर दिये। टेलीफोन से वार्ता हुई तो कहते है कि एक हफ्ता और मौका दे दिया जाए सभी वाहनों का बकाया मूल्य रूपया भुगतान कर दूंगा परन्तु कई माह के बिताने के बाद भी इन लोंगों को वाहनों का बकाया रूपया नहीं दे रहे हैं एजेन्सी से वाहन खींच लेने की स्थिति आ गई है। शमशाद उपरोक्त द्वारा लिखित तीनों चार पहिया वाहन भुगतान एग्रीमेन्ट के अनुसार निम्नलिखित रूपया दिया गया है तथा निम्नलिखित रूपया बाकी है जिसका विवरण नीचे अंकित किया जा रहा है–

1.वाहन संख्या UP 53 EQ 5178 वाहन स्वामी रामवृक्ष का 15 माह का 406545 रूपया हुआ 4 माह में प्राप्त हुआ 89500 रूपया ।

2. वाहन संख्या UP 53 ER 5564 वाहन स्वामी अजय प्रताप वाहन चला 14 माह, 11300/– माह रूपये की दर से 378000/– रूपए हुआ, भुगतान मिला 255000, बाकी रूपया 353000/–।

3. वाहन संख्या UP 53 ER 5285 वाहन स्वामी प्रदीप कुमार पुत्र सूर्य देव प्रसाद वाहन चला 11 माह, रूपया 27000/– प्रति माह की दर से 297000/– रूपये।

प्रार्थी ने घटना की सूचना 22/10/2024 को स्थानीय थाने पर दिया, जिससे नाराज होकर उपरोक्त शमशाद हुसैन ने प्रार्थी को दिनांक 25/10/2024 को समय लगभग शाम को 7 बजे फोन करके थाना–शाहपुर के बगल में स्थित बंसतपुर कालोनी थाना–शाहपुर, जिला–गोरखपुर बुलाया। प्रार्थी उसकी बातों को विश्वास करके जब उससे मिलने पहुंचा तो उपरोक्त शमशाद प्रार्थी को देखतें ही माँ–बहन की भद्दी भद्दी गाली–गुप्ता देने लगा तथा कहने लगा कि साले चमारिया की जाति तुम मेरे खिलाफ थाने में दरख्वास्त दे रहे हो। जब प्रार्थी ने उन्हें गाली–गुप्ता देने से मना किया तो उपरोक्त शमशाद प्रार्थी को लात – मुक्के व थप्पड़ से मारने लगा, शोर सुनकर मौके पर तमाम लोग जुट गये तथा बीच–बचाव का प्रयास करने लगे, उपरोक्त शमशाद हम प्रार्थी को उन तमाम लोगों के सामने भी लगातार जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता रहा तथा कहने लगा साले चमारिया की जाति तुम अपना रूपया भूल जाओ नहीं तों तुमको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ेगा । प्रार्थी लगातार आज तक अपने बकाये के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान है। प्रार्थी थाने पर भी सूचना दिया परन्तु कोई कार्रवाई नही हुआ । अतः न्यायहित में उक्त मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना हेतु थाना स्थानीय को आदेशित किये जाने याचना की गयी है।

प्रार्थी द्वारा थानाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छाया प्रतियां,जनसुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उ0प्र0 की छाया प्रति, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र व आधारकार्ड की छायाप्रति तथा नोटरी इकरारनामा की छाया प्रतियां, वाहन संख्या UP 53ER5564 के पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति, बैंक स्टेटमेंट व चेक की छाया प्रतियां पत्रावली पर दाखिल की है।

थाना शाहपुर गोरखपुर से उक्त प्रार्थना पत्र–पत्र के संबंध में आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के अनुसार उसने विपक्षी के आश्वासन पर रेनाल्ट एजेन्सी से फाइनेन्स कराकर चार पहिया वाहन विपक्षी के टूर एण्ड ट्रेवेल्स कम्पनी में लगा दी। विपक्षी ने धोखा धड़ी करते हुये भुगतान नहीं किया गया तथा विपक्षी से मिलने पर उसने आवेदक के साथ मार–पीट, गाली गुप्ता व जाति सूचक शब्दों के साथ जान से मारने की धमकी दी । प्रार्थी विपक्षीगण को जानता है एवं उसे अपराध से संबंधित सभी तथ्यों की जानकारी हैं और वह साक्षीगण तथा अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत कर सकता है। विवेचना द्वारा और तथ्य संकलित करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

विधि व्यवस्था **राम बाबू गुप्ता एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2001 (2) जे0आई0सी0 231 पूर्ण खण्डपीठ, सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (2) यू0पी0क्रि0आर. 392 इलाहाबाद** तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **जोसेफ माधुरी एवं अन्य बनाम स्वामी विवेकानन्द हरि साक्षी 2001 सप्लीमेन्ट्री ए0सी0जे0 पेज 957 एवं मो0 युसुफ बनाम श्रीमती आफाक जहॉ एवं अन्य 2006 (1) ए0सीआर0आर0 पेज 112** में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिशा निर्देशों के प्रकाश में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रुप में दर्ज करके जांच उपरान्त कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

प्रार्थी अजय प्रताप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता परिवाद के रुप में पंजीकृत किया जाए। पत्रावली वास्ते परिवादी का बयान अन्तर्गत धारा–223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 11.09.2026 को पेश हो। गवाहों की सूची दाखिल हो।

दिनांक–05.08.2026

(चन्द्र भान सिंह)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),
गोरखपुर।

Digitally signed by CHANDRA BHAN SINGH
Date: 2026.08.05 16:20:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court